(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 2242–दो/2015 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 7–6–2015 पारित व्दारा तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना – प्र0क0 1310 अ–74/ 2014–15

1– श्रीमती रमादेवी गुप्ता पत्नि कमलेश प्रसाद
2– श्रीमती सीतादेवी गुप्ता पत्नि ओमप्रकाश
निवासी एम0आई0जी0 352 के सामने
भरहुत नगर कालोनी सतना ———आवेदकगण

विरूद्व

आयुक्त, नगरपालिक निगम, सतना ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0के0गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 06–4– 2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना के प्र0क0 1310 अ–74/ 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 7–6–2015 एंव 15–6–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आयुक्त, नगर निगम, सतना व्दारा तहसीलदार रघुराजनगर को पत्र दिनांक 4–6–15 लिखकर मांग की गई कि खेरमाई स्थित नाले को व्यवस्थित एंव सौन्दर्यकरण किया जाना है इसलिये नाले की वास्तविक चौडाई का परिमाप कराते हुये सीमांकन कराया जावे। तहसीलदार रघुराज नगर ने प0क0 1310 अ–74/ 2014–15 पॅजीबद्व किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 7–6–15 से राजस्व निरीक्षकों एंव पटवारियों का दल गठित कर सीमांकन करने के आदेश दिये। तदानुकम में राजस्व निरीक्षकों/पटवारियों के दल ने नाले का सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत

किया, जिस पर से तहसीलदार रघुराजनगर ने पत्र दिनांक 15–6–15 प्रस्तुत कर आयुक्त नगर निगम को तीन राजस्व निरीक्षकों एंव 6 पटवारियों की टीम व्दारा किये गये सीमांकन एंव मौके की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की। तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आयुक्त, नगर निगम, सतना व्दारा तहसीलदार रघुराजनगर को लिखे गये पत्र दिनांक 4–6–15 पर से तहसीलदार ने नाले के सीमांकन हेतु दल गठित करने में भूल की है इसी प्रकार राजस्व निरीक्षकों की सीमांकन टीम ने बिना किसी पैमाने के एंव नाले के उदगम स्थल, उसकी क्या आराजी नंबर है तथा उसका कितना कितना रकबा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है इसकी जॉच किये बिना सीमांकन करके अतिक्रामकों की सूची तैयार करने एंव गलत सीमांकन करने में भूल की है सीमांकन दल ने नाले के किनारे बसे एंव पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूखंड क्रय करके बनाये मकानों के रहवासियों को कोई सूचना नहीं दी है। सीमांकन कार्यवाही एकपक्षीय है इसलिये सीमांकन कार्यवाही निरस्त की जाय।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि जिन अतिक्रामकों ने नाले की भूमि की ओर अपने मकानों को बढ़ाकर अतिक्रमण किया है एंव नाले के बहाव को अवरूद्व किया है सीमांकन के दौरान अतिक्रमण प्रमाणित हुआ है सीमांकन सही किया गया है इसलिये तीन राजस्व निरीक्षकों एंव 6 पटवारियों की टीम व्दारा किया गया सीमांकन सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 1310 अ–74/ 2014–15 में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि खेरमाई स्थित नाला नगर निगम सतना के अधीन है एंव नगर के बीच पानी के निकास का साधन है। शहर की स्वच्छता एंव नागरिकों के हित में इस नाले का व्यवस्थित एंव सौन्दर्यकरण किया जाना है जिससे नगर में होने वाली गन्दगी को रोका जाकर शहर

को सुन्दर व स्वच्छ वातावरण दिया जा सके, इसी उद्देश्य से आयुक्त नगर निगम ने नाले की सीमांकन कराया है। जहॉ तक सीमांकन में नाले को पाटते हुये कई व्यक्तियों व्दारा निज मकान को आगे बढ़ाकर अतिक्रमण करने का तथ्य सीमांकन से उजागर हुआ है , जिसके कारण तीन राजस्व निरीक्षकों एंव 6 पटवारियों की टीम व्दारा किये गये सीमांकन को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। नगर स्थित खेरमाई नाले को स्वच्छता प्रदान करने एंव सुन्दरता प्रदान करने का कार्य आम नागरिकों के हित में है जिसके कारण अतिक्रामकों को किसी प्रकार का अनुतोष देना सार्वजनिक हितों नहीं है। यदि निजी भूखंड अथवा निजी मकान–धारी व्यक्ति यह मानता है कि उसका निजी भूखंड अथवा मकान सीमांकन से प्रभावित हुआ है वह निजी मकान/भूखण्ड का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना व्दारा प्र0क0 1310 अ–74/ 2014–15 में अंतरिम आदेश दिनांक 7–6–2015 से सीमांकन हेतु दल गठित करने का लिया गया निर्णय एंव पत्र दिनांक 7–6–2015 से वस्तुस्थिति पर आयुक्त नगरनिगम सतना को भेजे गये प्रस्ताव वावत् लिया गया निर्णय उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर